# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0262 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/09/2026 11:21 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 05/07/2026
   **Time Period (समय अवधि):** पहर 5 **Time From (समय से):** 17:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:02 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/09/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/09/2026 11:21:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** KARYALAY UP PANJIYAN, KARVR JILA BUNDI

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** VIMAL KUMAR SAINI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMDEV SAINI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | WARD NO. 01, KARVAR, KARVAR, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | WARD NO. 01, KARVAR, KARVAR, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHUL DADVADIYA | | पिता:BJIJMOHAN REGAR | 1. 507,REGAR MOHHALA,VILLAGE POST KARVAR,NAINWA,BUNDI,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 69,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 69,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक विषय- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय,निवेदन है कि मैं विमल कुमार सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी जाति माली उम्र 36 साल निवासी वार्ड न. 1 करवर पुलिस थाना करवर जिला बूंदी का रहने वाला हू। मैं उप तहसील करवर के पास ई-मित्र की दुकान लगाता हू तथा स्टाम वेन्डर का भी कार्य करता हू। मैं कार्यालय उप पंजीयक करवर में मेरे पास आने वाले व्यक्तियो की जमीन की रजिस्ट्रीया करवाता हू। उप पंजीयन कार्यालय करवर में कार्यरत श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक जमीन की रजिस्ट्रीया करने की एवज में डी.एल.सी. का 1 प्रतिशत कमीशन लेता है तथा हक त्याग व पट्टो की रजिस्ट्रीयो पर प्रति पट्टा 1000 रूपये रिश्वत के मांगता है। एक महिना में जो जमीन की रजिस्ट्रीया, हक त्याग व पट्टो की रजिस्ट्रीया करवाते है उनका कमीशन एक साथ लेते है। श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक उप पंजीयक करवर जिला बूंदी मुझसे जून माह में मेरे द्वारा करवायी गयी रजिस्ट्रीया, हक त्याग व पट्टो की रजिस्ट्रीयो की एवज में 36000 रूपये रिश्वत के मांग रहा है। मेरे द्वारा राहुल जी को रिश्वत नही देने से मेरी 2 रजिस्टीयाॅ (मनोज कुमार, रतन लाल जैन) एवं 1 पट्टा (बाबूलाल रेगर) का नही दे रहा है तथा मेरे द्वारा मेरी रजिस्टीयाॅ व पट्टा मांगने पर मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है। मैं अपने जायज काम के बदले में श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक उप पंजीयक करवर जिला बूंदी रिश्वत नही देना चाहता हू तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक उप पंजीयक करवर जिला बूंदी से कोई पुरानी रंजीश व रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी विमल कुमार सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी जाति माली उम्र 36 साल निवासी वार्ड न. 1 करवर पुलिस थाना करवर जिला बूंदी। मोबाईल नम्बर कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक दिनांक 04.07.2026 समय 5.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक के समक्ष परिवादी विमल कुमार सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी जाति माली उम्र 36 साल निवासी वार्ड न. 1 करवर पुलिस थाना करवर जिला बूंदी ने उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैं वार्ड न. 1 करवर पुलिस थाना करवर जिला बूंदी का रहने वाला हू। मैं उप तहसील करवर के पास ई-मित्र की दुकान लगाता हू तथा स्टाम वेन्डर का भी कार्य करता हू। मैं कार्यालय उप पंजीयक करवर में मेरे पास आने वाले व्यक्तियो की जमीन की रजिस्ट्रीया करवाता हू। उप पंजीयन कार्यालय करवर में कार्यरत श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक जमीन की रजिस्ट्रीया करने की एवज में डी.एल.सी. का 1 प्रतिशत कमीशन लेता है तथा हक त्याग व पट्टो की रजिस्ट्रीयो पर प्रति पट्टा 1000 रूपये रिश्वत के मांगता है। एक महिना में जो जमीन की रजिस्ट्रीया, हक त्याग व पट्टो की रजिस्ट्रीया करवाते है उनका कमीशन एक साथ लेते है। श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक उप पंजीयक करवर जिला बूंदी मुझसे जून माह में मेरे द्वारा करवायी गयी रजिस्ट्रीया, हक त्याग व पट्टो की रजिस्ट्रीयो की एवज में 36000 रूपये रिश्वत के मांग रहा है। मेरे द्वारा राहुल जी को रिश्वत नही देने से मेरी 2 रजिस्टीयाॅ (मनोज कुमार, रतन लाल जैन) एवं 1 पट्टा (बाबूलाल रेगर) का नही दे रहा है तथा मेरे द्वारा मेरी रजिस्टीयाॅ व पट्टा मांगने पर मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है। मैं अपने जायज काम के बदले में श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक उप पंजीयक करवर जिला बूंदी रिश्वत नही देना चाहता हूॅ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक उप पंजीयक करवर जिला बूंदी से कोई पुरानी रंजीश व रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यो का सही होना व रिपोर्ट स्वंय के द्वारा टाईप करना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर होता है। समय 5.55 पी.एम. पर परिवादी श्री विमल कुमार ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी समय काफी हो चुका है तथा आज शनिवार का अवकाश होने से राहुल जी कनिष्ठ सहायक उप पंजीयक करवर कार्यालय पर नही है। जिस कारण आज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नही हो सकती है। कल दिनांक 05.07.2026 को मैं राहुल जी कनिष्ठ सहायक से बात करके आपको बता दूंगा । इस पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई।

राजकुमार कानि. 160 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी व राजकुमार कानि. को वॉयस रिकार्डर में वायस दर्ज करने तथा रिकार्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाईयी। परिवादी व कानि. के आपस में मोबाईल नम्बर एक दुसरे को दिलवाये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि आरोपी के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने जाने से पूर्व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या श्री राजकुमार कानि. 160 को सूचित करे तथा राजकुमार कानि. 160 को हिदायत दी गई कि जब भी परिवादी सम्पर्क करे तो मन अतिरिक्त पुलिस को अवगत करावे। समय 6.15 पी.एम. पर परिवादी को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूकसत किया गया। दिनांक 05.07.2026 समय 12.11 पी.एम. पर परिवादी श्री विमल कुमार सैनी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक उप पंजीयन करवर से मेरी बात हो चुकी है उन्होने मुझे 2 बजे कार्यालय उप पंजीयन करवर पर बुलाया है। मैं राहुल जी से उनके कार्यालय पर जाकर अपने काम व रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता कर लूंगा। आप श्री राजकुमार जी को वायस रिकार्डर लेकर भेज दे। इस पर श्री राजकुमार कानि. 160 को तलब कर सरकारी वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपर्द कर हिदायत दी गई कि कस्बा करवर में जाकर परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को आरोपी के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु जाने से पूर्व वायस रिकार्डर को चालू कर परिवादी को सुपर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना करे। समय 12.25 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 को मय सरकारी वायस रिकार्डर के कस्बा करवर रवाना किया गया। समय 04.02 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि. ने जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी श्री विमल कुमार सैनी व आरोपी राहुल जी कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयन करवर के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है। वार्ता को मेरे द्वारा सुना गया है। आरोपी ने परिवादी से उसके द्वारा करवायी गयी जमीन, प्लाट की रजिस्ट्रीयॉ व हक त्याग की एवज में 69000 रूपये राशि की मांग की है। परिवादी श्री विमल कुमार सैनी से वार्ता करने बताया कि मेरी व राहुल जी कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयन करवर के मध्य वार्ता हो चुकी है। राहुल जी कनिष्ठ सहायक उप पंजीयन करवर द्वारा मेरे द्वारा एक माह में करवायी गई की जमीन, प्लाट की रजिस्ट्रीयॉ व हक त्याग की एवज में 69000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है तथा मैंने उनको रिश्वत राशि एक दो दिन में देने हेतु कहंा है। हमारी वार्ता आपके वायस रिकार्डर में दर्ज हो गयी है। वायस रिकार्डर मैने श्री राजकुमार जी को दे दिया है। अभी मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से मैं गॉव ही रूक रहा हू । मैं दो तीन दिन बाद आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जाउगॉ। श्री राजकुमार कानि.160 को मय वायस रिकार्डर के कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबद किया गया। समय 6.30 पी.एम. पर राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी वायस रिकार्डर के उपस्थित कार्यालय आया तथा वायस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपर्द कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 1.55 पी.एम. पर परिवादी के गॉव कस्बा करवर में आंतरदा रोड पर पहुचा। जहॉ परिवादी उपस्थित मिला। समय 2.02 पी.एम. पर मैंने निर्देशानुसार वायस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु आरोपी के पास उप पंजीयन कार्यालय करवर भेजा था जो करीब 1 घंटे बाद वापस मेरे पास आया तथा वायस रिकार्डर चालू हालात में मुझे पेश किया। वायस रिकार्डर को मैने बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि रवाना होकर मैं उप पंजीयन कार्यालय करवर पहु॑चा। जहॉ पर राहुल जी कनिष्ठ सहायक मिले। जिनसे मैने अपने काम के सम्बन्ध में वार्ता की तो उन्होने एक माह में मेरे द्वारा करवायी गयी जमीन, प्लाट की रजिस्ट्रीयो व हक त्याग की एवज में 69000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। मैने उपरोक्त हालात आपको जरिये दूरभाष निवेदन कर दिये थे तथा परिवादी की आपसे वार्ता करवा दी थी। आपके निर्देशानुसार परिवादी को गॉव में छोडकर रवाना होकर इस समय कार्यालय हाजा पर उपस्थित हुआ हू। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो कानि. राजकुमार को परिवादी द्वारा बताये कथनो की ताईद हुयी। रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षार्थ कार्यालय आलमारी में रखा गया। दिनांक 09.07.2026 समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी विमल कुमार सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी जाति माली उम्र 36 साल निवासी वार्ड न. 1 करवर पुलिस थाना करवर जिला बूंदी उपस्थित आया व बताया कि दिनांक 05.07.2026 को श्री राजकुमार जी कानि. साहब समय करीब 1.50 पी.एम. पर आंतरदा रोड, करवर आये थे। जिनसे मैं मिला था। जिनको मैने बताया कि श्री राहुल डडवाडिया कनिष्ठ सहायक अभी कार्यालय उप पंजीयन करवर में ही बैठे हुये है। फिर समय 2.02 पी.एम. पर राजकुमार जी ने वायस रिकार्डर को चालू कर मुझे सुपर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय उप पंजीयन करवर में भेजा था। मैं कार्यालय उप पंजीयन करवर में जाकर श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक से मिला तथा मैने राहुल जी से करीब एक घंटा बात की । राहुल जी ने मेरे द्वारा एक माह में करवायी गयी जमीन, प्लाट की रजिस्ट्रीयो व हक त्याग की एवज में 69000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। मैने रिश्वति राशि एक दो दिन में देने हेतु कहां। फिर मैं बातचीत कर रवाना होकर वापस श्री राजकुमार जी के पास आया तथा राजकुमार जी को वायस रिकार्डर को चालू हालात में सुपर्द किया। राजकुमार जी ने वायस रिकार्डर बंद कर अपने पास रख लिया। फिर मेरे द्वारा राजकुमार जी को सारी बात बताई थी। राजकुमार जी ने वायस रिकार्डर चालूकर रिकार्डिंग वार्ता को सुना था। फिर उन्होने जरिये दूरभाष आपको सारी बात बताई थी तथा मेरी भी बात आपस करवाई थी। फिर मेरे काम होने से मैं घर पर ही रूक गया था। राहुल जी ने मेरी दो रजिस्ट्रीयॉ (मनोज कुमार, रतन लाल जैन) एवं 1 पट्टा (बाबूलाल रेगर) का दिनांक 04.07.2026 को मेरी दुकान पर दे गये थे। करीब 3 दिन का समय हो

चुका है लेकिन राहुल जी ने मेरे पास ना तो रिश्वत राशि देने के सम्बन्ध फोन किया नाहि मुझसे सम्पर्क किया। रिश्वत राशि ज्यादा होने से राहुल जी रिश्वत राशि लेने से झिझक रहे है तथा डरे हुये है। परिवादी से समझाईस की गई कि जब भी आरोपी रिश्वत राशि लेने हेतु फोन करे या सम्पर्क करे तो इस कार्यालय को अवगत करावे। परिवादी को उचित हिदायत कर समय 12.30 पी.एम. पर रूकसत किया गया। दिनांक 20.07.2026 समय 11 ए.एम. पर परिवादी विमल कुमार सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी जाति माली उम्र 36 साल निवासी वार्ड न. 1 करवर पुलिस थाना करवर जिला बूंदी उपस्थित आया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि दिनांक 13.07.2026 को श्री राहुल जी कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयन करवर शाम मेरी दुकान पर आये थे तथा मुझसे रूपये देने हेतु कहां था। मैने कहां कि अभी रूपये की व्यवस्था नही हुई है मैं कल व्यवस्था करके आपके कार्यालय में आकर दे दूंगा। इस पर राहुल जी ने कहां कि आपको कार्यालय पर नही आना है। मैं ही कार्यालय आते-जाते समय रूपये आपकी दुकान से प्राप्त कर लूंगा। क्योकि आज कल जमाना सही नही है। फिर दिनांक 15.07.2026 को मैं ऋषिकेश घूमने चला गया था जो कल दिनांक 19.07.2026 को वापस आया हू। आज दिनांक 20.07.2026 को राहुल जी मुझे रास्ते में मिले तथा मुझसे रूपये देने हेतु कहां तो मैने राहुल जी से कहां कि अभी रूपये की व्यवस्था नही हुयी है। तो वह आवेश में आकर कहने लगे कि तु मुझे घुमा रहा है तु मुझे रूपये नही देना चाहता हू। अब मुझे तुझसे कोई रूपया नही लेना है। हम दोनो में आपस में कहासुनी हो गयी और राहुल जी गुस्सा करके चले गये। अब मेरा राहुल कनिष्ठ सहायक उप पंजीयन करवर के पास कोई कार्य पेण्डिग नही है। शायद श्री राहुल डडवाडिया कनिष्ठ सहायक उप पंजीयन करवर को मेरे उपर शक हो गया है तथा हमारे बीच आपस में कहासुनी हो गयी है। इसलिये वह मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगे। जिस कारण अब आगे कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। इसलिये आगे ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही है।परिवादी के कथनानुसार आरोपी श्री राहुल डडवाडिया कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयन करवर जिला बूंदी को परिवादी पर शक हो जाने व आपस में कहासुनी होने के कारण परिवादी से अब रिश्वत नहीं लेगा एवं परिवादी भी आरोपी को शक होने जाने एवं कहासुनी होने के कारण आगे कार्यवाही नहीं कराना चाहता है। प्रकरण में परिवादी व आरोपी के मध्य हुयी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी है। फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से स्वतंत्र गवाहान को तलब कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 11.20 ए.एम पर कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय आबकारी विभाग टोक के नाम तहरीर लिखकर दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु श्री राजकुमार कानि. 160 को रवाना किया गया। समय 11.40 ए.एम sपर श्री राजकुमार कानि. 160 कार्यालय आबकारी विभाग से मय दो स्वतन्त्र गवाहान 1. श्री मनीष विजय पुत्र श्री रमेश विजय जाति महाजन उम्र 37 साल निवासी 26, महावीर नगर, रजके वाले बाबा के पास टोक हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय आबकारी विभाग टोक मोबाईल नम्बर 2. श्री पवन कुमार कुमावत पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार कुमावत जाति कुमावत उम्र 34 साल निवासी वार्ड न. 18 उनियारा जिला टोक हाल सूचना सहायक कार्यालय आबकारी विभाग टोक मोबाईल नम्बर के उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री विमल कुमार सैनी से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.07.2026 के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालुकर सुनाया गया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। समय 11.45 ए.एम. पर दिनांक 05.07.2026 को परिवादी श्री विमल कुमार सैनी व आरोपी राहुल डडवाडिया कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयन करवर जिला बूंदी के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के तीन पेनड्राईव तैयार किये गये। दो पेनड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क A-1, A-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखा गया। समय 2.30 पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड Rajdhani कम्पनी 16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 3 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई। समय 3.20 पी.एम. पर परिवादी व गवाहान को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूकसत किया गया। समय 3.40 पी0एम0 पर मांग सत्यापवन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड का सिल्ड पैकेट मार्क एम एवं शील्डशुदा पेनड्राईव मार्क A-1, A-2 बतौर वजह सबूत जरिये श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक के जमा मालखाना करवाया गया। समय 3.50 पी0एम0 पर श्री राजकुमार कानि. 160 ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्प्टि बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता के पेनड्राईव तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद

अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 4.30 पी0एम0 पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्प्टि, मेमोरी कार्ड, पेनड्राईव के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी राहुल डडवाडिया कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयन करवर जिला बूंदी द्वारा परिवादी विमल कुमार सैनी द्वारा एक माह में कार्यालय उप पंजीयन करवर जिला बूंदी में करवाये गये जमीन, प्लाट की रजिस्ट्रीयाॅ एवं हक त्याग करने की एवज में परिवादी से कमीशन के रूप में 69000 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना पाया गया। परन्तु किसी कारणवश आरोपी को परिवादी पर शक होने जाने व आपस में कहासुनी हो जाने के कारण आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान नहीं हो सका। ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी राहुल डडवाडिया कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयन करवर जिला बूंदी द्वारा परिवादी विमल कुमार सैनी द्वारा एक माह में कार्यालय उप पंजीयन करवर जिला बूंदी में करवाये गये जमीन, प्लाट की रजिस्ट्रीयाॅ एवं हक त्याग करने की एवज में परिवादी से कमीशन के रूप में 69000 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। परन्तु आरोपी को परिवादी पर शक होने जाने व आपस में कहासुनी हो जाने के कारण आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त नही की। आरोपी का उक्त कृत्य से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होना पाया गया। अतः आरोपी श्री राहुल डडवाडिया पुत्र श्री ब्रजमोहन रेगर जाति रेगर उम्र 26 साल निवासी मकान नम्बर 507, रेगर मोहल्ला ग्राम व पोस्ट करवर ग्राम पंचायत करवर तहसील नैनवा जिला बूंदी हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप तहसील करवर जिला बूंदी के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (ऋषिकेश मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक..........कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, टोंक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राहुल डडवाडिया पुत्र श्री ब्रजमोहन रेगर जाति रेगर उम्र 26 साल निवासी मकान नम्बर 507, रेगर मोहल्ला ग्राम व पोस्ट करवर ग्राम पंचायत करवर तहसील नैनवा जिला बूंदी हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप तहसील करवर जिला बूंदी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरपत सिंह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 216 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1508-11 दिनांक 16.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- जिला कलक्टर, बून्दी 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** NARPAT SINGH CHARAN **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/09/2026 11:24:14

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** GORDHAN LAL SONKARIA

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 2000 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)